हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.9.2022 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 6 की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट ने दावे मे वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया है। टी.आई. प्रार्थना पत्र मे इनकी ओर से कोई जवाव प्रस्तुत नही करना चाहते है। टी.आई. प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने टी.आई. प्रार्थना पत्र के अनुरूप वहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 412, 412/923, 426 ग्राम छावा मे टी.आई. प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये गये स्थान को ख0न0 413 मे शामिल करते हुए प्लाटिंग का कार्य कर दिया है, जे.सी.वी चलाकर खडी फसल को नष्ट कर दिया है। दिनांक 15.8.2022 को प्रार्थीगण ने इसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण से कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि पर अवैध कब्जा करने व प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वे नजरी नक्शा मे ए, बी,सी,डी,ई मार्क से दर्शाये गयी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही करे एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थीगण के वकील ने वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु व ख0न0 412 की माप करवाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर वकील अप्रार्थीगण ने नो ऑब्जेक्शन किया है। अप्रार्थीगण के वकील ने अपने जवाव के अनुसार वहस करते हुए कहा कि ख0नं0 413 अप्रार्थी नं0 1 व 2 की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण का दावा स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में कोई स्थाई अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 412 से कोई लेना देना नहीं है, इसके सम्बन्ध में न्यायालय आवश्यक समझे तो अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। वहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्धध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमावंदी के अनुसार भूमि ख0नं0 412 ग्राम छावा प्रार्थीगण की खातेदारी में है तथा भूमि ख0नं0 413 ग्राम छावा अप्रार्थी नं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पक्षकारों के मध्य भूमि ख0नं0 412 व 413 की सीमा पर पर विवाद है जिसके लिए प्रार्थी भूमि ख0नं0 412 की नाप करवाने के अधिकारी है। उप जिला कलेक्टर जयपुर सिटी (रा0मा0)	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

~~अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आंशिक रूप~~ से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 412 रकबा 1.95 है0 ग्राम छाबा के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न नही करे एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को भूमि ख0न0 412 रकबा 1.95 है0 की नियमानुसार नाप कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही भूमि ख0न0 413 रकबा 1.10 है0 ग्राम छाबा के सम्बन्ध मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2.9.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)